फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

विनोदगिरी बनाम दुर्गादेवी आदि

नम्बर 555/.....2023

किस्म मुकदमा–225 आरटीए जीसीएमएस संख्या.....2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04–09–23	अभिभाषक अपीलांट् श्री प्रहलाद जाखड़ व केवियटकर्ता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 ता 5 की तरफ से श्री सुरेश चन्द्र व्यास उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई। जो स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब व बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते स्थगन बहस दिनांक 06–09–2023 को पेश हो।	
06–09–23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। उभय पक्षों को प्राथमिक आपत्ति व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–09–2023 को पेश हो।	
11–09–23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्राथमिक आपत्ति इस आश्य की प्रस्तुत की गई है कि अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियत के प्रावधानों के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष "नो आर्डर" की प्रस्तुत की गई है। कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के विरूद्ध पारित नहीं किया गया है, नाही उक्त आदेश से अपीलांट् के हितों पर ही कोई प्रभाव पड़ना है। लिहाजा प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आपत्ति का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक ही विषयवस्तु से संबंधित व एक ही आराजी के बाबत् अनुतोष की मांग की गई है। जिसके लिये पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जहॉ तक अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है, उक्त आदेश अपील योग्य आदेश है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण मूल अपील की सुनवाई के उपरान्त होना है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट्स की प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे।	

तत्पश्चात् विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 797 रकबा 4.80 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 798 रकबा 1.44 हेक्टर भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में खेत खसरा नम्बर 806 निहित है, परन्तु उक्त रकबा मौके पर मौजूद नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट् की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किये जाने की स्थिति में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि रौही श्रीडूँगरगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 806 तादादी 11.70 हेक्टर भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं है इसलिए खसरा नम्बर 806 को राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे तथा अपनी जोत की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु अपीलांट् के धारण की भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने का निवेदन किया गया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश प्रसारित किये बिना ही अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रथमतः अप्रार्थीगण का जवाब पत्र लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से आगामी नियत दिनांक तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु भी पाबन्द नहीं किया गया है। दौराने अपील यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। लिहाजा अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 797, 798 व 806 के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 152 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 806 रकबा 11.70 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की खरीदशुदा भूमि है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर खेत खसरा नम्बर 797, 798 व 806 के बाबत् वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रथमतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है।

अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम श्रेणी का आदेश है। जिसे प्रस्तुत अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी स्प. 2014–15 पेज 745, आरआरटी स्पा. 2014–15 पेज 741 व आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 409 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

प्रकरण में सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपित्त का निर्धारण किया जाना है। प्राथमिक आपत्ति पर उभय पक्षों को सुना गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र की पत्रावली अलग से मुरतिब एवं दर्ज रजिस्टर करने के तथ्य प्राथमिक आपत्ति के माध्यम से उठाये गये है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र संलग्न करते हुए मौक व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग की गई है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की धारा का अभिलेखन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र मूल अपील का ही अभिन्न अंग होने से अपील की विषय वस्तु व स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित अनुतोष परस्पर अनुषांगिक (Ancillary) अनुतोष है। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट्स की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके रौही श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 797, 798 व खेत खसरा नम्बर 806 के बाबत् धोषणात्मक वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25–08–2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात् अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाना न्यायोचित मानते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 12–09–2023 नियत की गई है। चूंकि अदालत मातहत के समक्ष सभी पक्ष उपस्थित आ चुके है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करवाने के बजाय प्रस्तुत अपील के माध्यम से आराजी जैर के बाबत् मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की चेष्टा की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष होने अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर